U;k;ky; HkwizcU/k vf/kdkjh ,oa insu jktLo vihy
izkf/kdkjh chdkusj
Jh v'kksd lkaxok vkj0,0,l0

vihy la0 64@2022

1. गोविन्द सिह पुत्र मेघसिह जाति राजपुत निवासी बैरासर जिला चूरू ।
2. कुम्भसिह पुत्र मेघसिह जाति राजपुत निवासी बैरासर जिला चूरू ।

vihykVl

cuke-

1. भागीरथ पुत्र पुर्णाराम जाति मेघवाल निवासी बैरासर तहसील बीदासर जिला चूरू ।

2- मालसिंह पुत्र गिरधारीसिह जाति राजपुत निवासी बैरासर जिला चूरू ।

3- मु0 भंवरी पत्नी जीवराजसिह जाति राजपुत निवासी बैरासर जिला चूरू ।

4- जयसिह पुत्र जीवराजसिंह जाति राजपुत निवासी बैरासर जिला चूरू ।

5- नारायणसिंह पुत्र जीवराजसिहं जाति राजपुत निवासी बैरासर जिला चूरू ।

6- चन्द्रसिह पुत्र जीवराजसिह जाति राजपुत निवासी बैरासर जिला चूरू ।

2 rk 6 xk.k jLiksMsUV

7. श्रीमान उपपंजीयक महोदय तहसील बीदासर जिला चूरू ।
8. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार बीदासर जिला चूरू ।

jLiksMsVl

mifLFkr%&

1- Jh /khjsUnzflag Hkknkfj;k vihykUV vfHkHkk"kd
2- Jh izgykn tk[kM+ jLik0 vfHkHkk"kd

mi[k.M vf/kdkjh chnklj ftyk p: d vkn'k fnukd 23-06-2022 d fo:} vihy vUrxZr /kkjk 225 vkj0Vh0,0 1955

निर्णय दिनांक 09.10.2023

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है यह अपील उपखण्ड अधिकारी बीदासर की प्रार्थना पत्र सं0 175/2022 अनुवान भागीरथ बनाम गोविन्द्रसिह आदि में आदेश दिनांक 23.06.2022 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है 1-
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।
3. विद्वान अपीलांट/रेस्पो0 अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि यह अपील अब निष्फल हो चुकी है क्योकि जिस जैर अपील आदेश के विरूद्ध की गयी है वह दिनांक 20.07.2022 तक प्रभावी था और इसके बाद इस आदेश की अवधि नही बढाई गयी है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा 2001 (1) आर.आर.टी.01 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रकरण मूल न्यायालय को नये सिरे से दोनो पक्षो को सुनकर निर्णय करने हेतु लौटा दिया जावे।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपील अब निष्फल हो गई है। इसलिए मूल न्यायालय को सुनवाई हेतु लौटाई जावे।
5. बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी बीदासर ने दिनांक 23.06.2022 को अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया था, जिसकी अवधि दिनांक 20.07.2022 तक थी। आज उक्त जैर अपील आदेश प्रभाव में नही है क्योकि पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय से इस न्यायालय को प्राप्त हो जाने के कारण उसकी अवधि आगे बढाई नही गयी है,ऐसी स्थिति में यह

अपील निष्फल हो गयी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा बाबूलाल बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू' 2001 (1) आर.आर.टी. 01 में दिये गये दृष्टान्त के अनुसार यह प्रकरण मूल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर को इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि वे यदि इस मूल वाद में कोई निर्णय हो गया है तो निर्णय की कोपी इस न्यायालय में भिजवाये यदि निर्णय अभी तक नही हुआ है तो अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर दोनो पक्षो को सुनकर,साक्ष्य व सबूत पेश करने का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से निर्णय पारित करे।

6. अपील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तरतीब तकमील दफतर दाखिल हो व अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय प्रति के लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दफतर दाखिल हो।

7- निर्णय आज दिनांक 09.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

¼v'kksd lkaxok ½
HkkizcU/k vf/kdkjh ,oa
insu jktLo vihy izkf/kdkjh
chdkusj